

फर्ट अहकाम

(11)

(नियम 15)

ज अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

डा. मुनिमात बनाम जगमोहन

स मुकदमा नं. 35 सन 2009

दखा

सब हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/3/09 वकील वादी जे हेमशम जयल ने दखा वापस घोषणा आदेशरी का पेश किया गया। इसा इफ्ट डोजि कर, जेहेगरी जण जे नोरीड जारी कर दिखते 30/3/09 को पेश की।

मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

30/3/09

वादी वकील उपस्थित। प्रारंभिक नं. 1 को नजदीक जारी नवीं हुई जारी कर। प्रारंभिक नं. 2 को जोर से R.B. जयल Adv. ने वकालत पेश किया नं. 3 को जोर से कायमुर सुप्रीम कोर्ट उपस्थित नवीं उक्त प्रारंभिक एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जारी जाना है। वस्तु नजदीक प्रारंभिक नं. 1 व जवाब प्रारंभिक नं. 2 18/4/09 को पेश हो।

13/4/09

वादी वकील उपस्थित। प्रारंभिक नं. 2 को वकील उपस्थित नं. 1 को जोर से कायमुर सुप्रीम एड. ने वकालत पेश किया। वस्तु जवाब इवा प्रारंभिक नं. 1, 2 18/4/09 को पेश हो।

15/4/09

वकालत उपस्थित। वस्तु जवाब इवा प्रारंभिक नं. 1, 2 18/4/09 को पेश हो।

फर्द अहकाम

पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई विकुणाय  
उप। साक्ष्य के लिए समय पाए। दिया  
गया। वास्तु साक्ष्य दिनांक 30.7.15 को  
पेश हो।

2/15 विकुणाय उप। साक्ष्य हेतु समय पाए। दिनांक  
10.9.15 को पेश हो।

3/15 विकुणाय उपस्थित। साक्ष्य वादी पेश  
करने के लिए न्यायद्वार में मुक  
नौका छोड़ दिया जाये। बाह्य  
दिनांक 8.10.15 को पेश हो।

4/15 विकुणाय उप। साक्ष्यवादी हेतु एक मोरा  
को दिया जाता है दिनांक 30.10.15 को पेश  
हो।

5/ पत्रावली पेश हुई। या के वकील व वादीगण  
उपस्थित नहीं। बारशुआवाज दिलाई गयी  
फिर भी कोई उपस्थित नहीं। क्षत्र रावा  
अदम हाजरी अदम फेरकी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फेसल शुभार  
लेकर नम्बर से काम कर दायिल  
दफतर हो।

जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)